न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, रायपुर जिला भीलवाड़ा
पीठासीन अधिकारीः–सुन्दरलाल बम्बोडा, आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बरः– 01/2018 (2018/00007) प्रार्थना पत्र

उनवान

1–बद्रीलाल पिता कालु ब्राहम्ण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2–नारायणलाल पिता कालु ब्राहम्ण निवासी पनोतिया तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

प्रार्थीगण

बनाम

1–राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार रायपुर तहसील रायपुर जिला भीलवाड़ा

2–पेमा पिता छोगा कुमावत निवासी डांग का खेड़ा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

3–चन्द्री देवी पत्नि पेमा कुमावत निवासी डांग का खेड़ा तह. करेड़ा जिला भीलवाड़ा

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धाराः136 राजस्थान लैण्ड रेवेन्यू एक्ट.

निर्णय

दिनांक 12.12.2019

पत्रावली आज पेश हुई। प्रकरण का सक्षेप मे विवरण इस प्रकार है कि ग्राम पनोतिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में पुरानी आराजी संख्या 7/10 रकबा 10 बिघा भूमि प्रार्थीगण के पिता व पति स्व. कालु वल्द बरदा ब्राहम्ण के नाम खातेदारी हक से दर्ज रेकार्ड थी। पुरानी आराजी भु प्रबन्ध से नवीन आराजी संख्या 293 रकबा 1.25 है0, आराजी संख्या 353 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 287 रकबा 0.66 है0, कुल किता 3 कुल रकबा 2.16 है0 बनाये गये। भू प्रबन्ध अधिकारी द्वारा वर्तमान नक्शा ट्रेस में प्रार्थीगण की खातेदारी व कब्जे कास्त की वर्तमान आराजी संख्या 293 व 353 को छोटा कर दिया तथा विपक्षी संख्या 3 चन्दरी देवी के खातेदारी की आराजी संख्या 286 तथा विपक्षी संख्या 2 पेमा पिता छोगा कुमावत की आराजी संख्या 288 में मिला दिया गया। आराजी संख्या 287 को गलत स्थान पर अकिंत कर प्रार्थीगण के खाते में अंकित कर दिया जबकि प्रार्थीगण का पुराने नक्षे अनुसार ही कब्जा है। आ.स. 287 को गलत स्थान पर अकित कर दिया गया। जबकि यह रकबा वर्तमान आ.स. 293 से लगा हुआ है। ग्राम पनोतिया तहसील रायपुर के बैरून हल्का आबादी में प्रार्थीगण की पुरानी आराजी संख्या 7/10 रकबा 10 बिघा जिसके वर्तमान आराजी संख्या 293 रकबा 1.25 है0, आराजी संख्या 353 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 287 रकबा 0.66 है0, आराजियात को पूर्व नक्षे अनुसार वर्तमान नक्षे में दर्ज करने का आदेश प्रदान करावें।

प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर प्रकरण न्यायालय सहायक लैण्ड रेकार्ड ऑफिसर गंगापुर में दर्ज होकर प्रकरण 7/2008 दर्ज हुआ जिस पर माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 10.12.2009 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 लैण्ड रवेन्यु एक्ट सिद्व नही होने से खारीज किया गया जिसकी अपील प्रार्थी द्वारा न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर के यंहा करने पर अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय द्वारा अपील संख्या 54/2010/भीलवाड़ा (2010/00004) दर्ज होकर दिनांक 31.07.2017 को माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त अजमेर द्वारा प्रार्थी अपिलान्ट की अपील स्वीकार करते हुए प्रकरण अणिनस्थ न्यायालय गंगापुर को लोटाया प्रकरण ग्राम पनोतिया तहसील रायपुर उपखण्ड क्षेत्र रायपुर के क्षेत्राधिकार में होने से प्रकरण इस न्यायालय में भिजवाया गया जिस पर इस न्यायालय में प्रकरण संख्या 01/18 दिनांक 03.01.2018 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर इस विपक्षीगण को नोटीस जारी किये गये। नोटिस की पालना में विपक्षी संख्या 1 लगायत 3 वाबजुद सूचना उपस्थित नही और न ही आज दिनांक तक उक्त प्रकरण में कोई जवाब पेश किया गया जिससे विपक्षी 1 लगायत 3 के विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया।

प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार कर नवीन नक्शै में साबिक नक्शै के अनुरूप तरमीम करायी जाकर उसी अनुसार भूमि राजस्व रेकार्ड में दर्ज कराने का आदेश फरमावे।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर मैने पत्रावली का अवलोकन किया पत्रावली में संलग्न राजस्व रेकार्ड जमाबन्दी ग्राम पनोतिया संवत 2048 से 2051, खसरा मिलान, एवं वर्तमान नवीन जमरबन्दी रोटेसन 2060 से 2063 एवं नवीन नक्शा का अवलोकन किया तथा पत्रावली में उपलब्ध माननीय न्यायालय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त महोदय अजमेर द्वारा पारित अपील में निर्णय दिनांक 31.07.2017 एवं तहसीलदार रायपुर द्वारा जवाब दिनांक 12.11.2009 एवं तत्कालिन न्यायालय सहायक लैण्ड रेकार्ड ऑफिसर गंगापुर भीलवाड़ा द्वारा पारित निर्णय उिनांक 10.12.2009 आदि का अवलोकन किया गया तो पाया कि प्रार्थना पत्र में वर्णित साबिक आराजी नम्बर 7/10 जो साबिक नक्शे में तरमीम थी उसी अनुसार नवीन भु प्रबन्ध के दौरान भू प्रबन्ध विभाग द्वारा नवीन राजस्व नक्शे में दर्ज की जानी चाहिये थी जो नही की गई थी जबकि पत्रावली में उपलब्ध रेकार्ड अनुसार एवं विपक्षी कमांक 1 तहसीलदार रायपुर द्वारा प्रस्तुत जवाब के अनुसार मौके पर प्रार्थी एवं विपक्षी कमांक 1 व 2 साबिक राजस्व नक्शे के अनुसार ही वर्तमान में प्रार्थी की आराजियात के पश्चिम दिशा की ओर काबिज है जबकि राजस्व रेकार्ड नक्शे में तरमीम मौके अनुसार नही है जिससे वादी साबिक रेकार्ड और नक्शे अनुसार दुरस्त कराना चाहता है वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में विपक्षी को इस न्यायालय द्वारा जरिये नोटिस तलब करने पर भी कोई जवाब प्रस्ततु नही किया गया जिस पर विपक्षीगणो के विरूद्व उक तरफा कार्यवाही का निर्णय भी हां चुका है ऐसी स्थिति में इस प्रकरण में प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को न्याय हित एवं राजस्व रेकार्ड और मौका स्थिति में एकरूपता लाने हेतु स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर आदेश दिया है कि पटवार हल्का नाथड़ियास के राजस्व ग्राम पनोतिया के साबिक नक्शे मे अकिंत खसरा नम्बर 07/10 रकबा 10 बिघा के अनुसार नवीन नक्शे में दर्ज आराजी संख्या 293 रकबा 1.25 है0, आराजी संख्या 353 रकबा 0.25 है0, आराजी संख्या 287 रकबा 0.66 है0, होने चाहिये थे जो नही होने से वर्तमान राजस्व नक्शे दर्ज आराजी नम्बर 293 के पश्चित की और नवीन आराजी नम्बर288 के स्थान पर 287 रकबा 0.66 है0 दर्ज की जावे एवं शेष रकबा 0.42 है0 आराजी नम्बर 288 का एवं आराजी नम्बर 287 रकबा 0.66 है0 के स्थान पर आराजी नम्बर 288 दर्ज की जावें इस प्रकार आराजी नम्बर 288 का कुल रकबा 1. 08 है0 (आराजी नम्बर 287 का 0.66 है0 एवं आराजी नम्बर 288 का पश्चिम दिशा की और स्थित शेष रकबा 0.42 है0 को मिलाने पर) दर्ज किया जावें इसी अनुसार मौका स्थिति को ध्यान में रखते हुए भूमि की तरमीम की जावे ।

पालनार्थ तहसीलदार रायपुर को आदेश की प्रति के साथ लिखा जावें।

निर्णय आज दिनांक 12.12.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

12.12.19

सुन्दरलाल बम्बोडा
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी)
रायपुर जिला भीलवाड़ा

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा)

सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) रायपुर (भीलवाड़ा) सत्यमेव जयते

Signature Not Verified

Digitally signed by Sundar Lal Bamboda
Date: 2019.12.28 11:39:15 IST
Reason: SelfAttested
Location: